



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 830]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 2010/वैशाख 10, 1932

No. 830]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 2010/VAISAKHA 10, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2010

का.आ. 995(अ).—यतः, मै. डीएलएफ लिमिटेड, जो गुजरात राज्य में एक निजी संगठन है, ने गुजरात राज्य में डीए-II सिटी के निकट, सरगासन धोला कुआँ रोड, गाँधी नगर जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 9 जून, 2008 की अधिसूचना संख्याएँ का.आ. 1406(अ), 1407(अ), 1408(अ) में 10-12-00 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल हैं :—

तालिका

क्र. सं.	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1.	2	10-12-00

और, यतः मै. डीएलएफ लिमिटेड ने सम्पूर्ण 10-12-00 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र 1648 GI/2010

सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 5 जून, 2009 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार उपरोक्त अधिसूचना को निरस्त करती है। सिवाय उन चीजों के जो ऐसे निरसन के पूर्व कारित की गई हैं या कारित किए जाने से निवारित की गई है।

[फा. सं. एफ. 1/127/2007-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2010

S.O. 995(E).—Whereas, M/s. DLF Limited, a private organisation in the State of Gujarat, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Near DA-II CT, Sargasan Dhola Kuan Road, District Gandhinagar in the State of Gujarat;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the

said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 10-12-00 hectares, comprising of the following survey number and area as given below in the table at the above location as Special Economic Zone *vide* the Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 1406(E), 1407(E), 1408(E) dated 9th June, 2008 :—

**TABLE**

Serial No.	Plot Number	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)
1.	2	10-12-00

And Whereas, M/s. DLF Limited has proposed to denotify the entire area of 10-12-00 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for denotification of above area on 5th June, 2009;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 1/127/2007-SEZ]  
ANIL MUKIM, Jt. Secy.